रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2002/माघ 22, 1923

No. 157] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2002/MAGHA 22, 1923

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2002

का. आ. 189(अ).—केन्द्रीय सरकार, राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (क) और धारा 7 की उपधारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) का विस्तार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत की महाद्वीपीय मग्नतटभूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर करती है, अर्थात् :—

(क) भारत की महाद्वीपीय मग्नतटभूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में खनिज तेल के निकालने या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण, और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों में से किसी के संबंध में किसी माल [सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 के खंड (22) में यथापरिभाषित] का प्रदाय।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "खनिज तेल" के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी है।

[सं. एल-111/3/2002]

डॉ. पी. एस. राव, अपर सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2002

S.O. 189(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (6) of Section 6 and clause (a) of sub-section (7) of Section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby extends the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) to the continental shelf of India and the exclusive economic zone of India with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the following purposes, namely :—

(a) the prospecting for extraction or production of mineral oils in the continental shelf of India or the exclusive economic zone of India, and

(b) the supply of any goods [as defined in clause (22) of Section 2 of the Customs Act, 1962] in connection with any of the activities referred to in clause (a).

Explanation :— For the purposes of this notification, "mineral oils" include petroleum and natural gas.

[No. L-111/3/2002]

Dr. P. S. RAO, Addl. Secy. and the Legal Adviser

481 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.